**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दांडिक अपील क्रमांक 383/1991**

---

**एकल पीठ : माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्ति**

---

**अपीलार्थी** : गंगाराम

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**निर्णय**

दिनाँक 24 अगस्त 2009 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे।

**सही/-**

**आर.एल. झंवर न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दांडिक अपील क्रमांक 383/1991**

---

**एकल पीठ : माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्ति**

---

**अपीलार्थी** : गंगाराम, पिता - जयलाल अघरिया, उम्र – 36 वर्ष (लगभग), निवासी - जानकीमोहा (झांकीमोहा) थाना – बसना, जिला रायपुर

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती इन्दिरा त्रिपाठी एवं श्री सरफराज खान।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री डी.के. ग्वालरे।

---

**निर्णय**

**(दिनांक :- 24 अगस्त 2009) को घोषित**

**आर.एल.झंवर, न्यायमूर्ति**

यह दांडिक अपील द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 198/1990 में दिए गए, दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 06.04.1991 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 20 के तहत दोषी ठहराते हुए, छह महीने के लिए कठोर

कारावास और 200/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है, जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनाँक 30.11.1990 को उपनिरीक्षक एस.एन.पाण्डेय (अ.सा-4), थाना सारंगढ़ को सूचना मिली कि अपीलार्थी गांजा लेकर जा रहा है। इस पर वे एक अन्य पुलिस अधिकारी के साथ उसकी तलाशी लेने गए। पुलिस अपीलार्थी को खोजने के लिए मालदा गाँव गई, और कोसाबाड़ी के पास उसे पाया । अपीलार्थी मोटरसाइकिल पर था। उन्होंने अपीलार्थी को रोका और उससे पूछताछ की। फिर अपीलार्थी ने अपनी जेब से गांजा निकाला, जो छोटे पैकेटों में नीले रंग के तौलिये में बंधा हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके बाद उपनिरीक्षक ने गांजा और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और गवाहों के समक्ष जब्ती पत्रक प्र.पी/2 तैयार किया। आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने देहाती नालिकी प्रदर्श.पी/3 दर्ज किया तथा थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। जब्त गांजा को आबकारी उपनिरीक्षक पी.एस. नेताम (अ.सा-1) के पास भेजा गया, जिन्होंने जांच की तो पाया कि यह गांजा ही है।

अन्वेषण पूरी होने के बाद, सारंगढ़ के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उपार्पित किया। इसके बाद, सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ ने मामले को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश को सौंप दिया। अपीलार्थी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया और उसे पढ़कर सुनाया गया तथा समझाया गया। अपीलार्थी ने अपना दोष अस्वीकार करते हुए कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दोषी करार दिया तथा उपरोक्त अनुसार सजा सुनाई।

मैंने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष के गवाह एस.एन.पांडे (अ.सा-4), उपनिरीक्षक, पुलिस थाना-सारंगढ़ ने कहा है कि दिनाँक 30.11.90 को उन्हें सूचना मिली कि अपीलार्थी गांजा लेकर आ रहा है। वे मालदा गाँव गए और कोसाबई के पास, उन्होंने देखा कि अपीलार्थी मोटरसाइकिल पर आ रहा है, उन्होंने उसे रोका और गवाहों वैष्णव चरण (अ.सा-2) और बलिराम (अ.सा-3) के सामने उससे पूछताछ की। इसके बाद, अपीलार्थी ने अपनी जेब से लगभग 7 ग्राम गांजा निकाला, जो एक पुराने अखबार में नीले रंग के तौलिये में बाँधकर रखा था। उन्होंने उन लोगों की मौजूदगी में उस वस्तु को जब्त कर लिया। गवाहों की उपस्थिति में, प्रदर्श. पी/2 के तहत ज़ब्ती पत्रक तैयार किया गया। लिफ़ाफ़े में गांजे का वज़न 7 ग्राम पाया गया। देहाती नालिसी दर्ज की गई और थाने पहुँचने पर एफआईआर दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ज़ब्ती गवाहों - वैष्णव चरण (अ.सा.-2) और बलिराम (अ.सा.-3) ने अभियोजन पक्ष के मामले और ज़ब्ती पत्रक का समर्थन किया। एस. एन. पांडे (अभि.सा.-4) के कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने ज़ब्त वस्तु को रासायनिक परीक्षण के लिए आबकारी उपनिरीक्षक - पी.एस. नेताम (अभि.सा.-1) के पास भेजा था।

आबकारी उपनिरीक्षक पी.एस. नेताम (अ.सा-1) ने बयान दिया कि पुलिस थाना सारंगढ़ से एक पैकेट गांजा प्राप्त होने पर उन्होंने उसकी अन्वेषण की और पाया कि वह गांजा है। उनकी प्रतिवेदन प्रदर्श.पी/1 है।

इस मामले में, जब्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में न भेजकर आबकारी उपनिरीक्षक के पास भेज दिया गया। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्हें मादक द्रव्यों के परीक्षण का अनुभव है और उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, इसलिए उन्होंने जब्त सामग्री की जांच की और पाया कि वह गांजा है। उनके बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रशिक्षण का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाया है। उन्होंने कोई रासायनिक परीक्षण भी नहीं किया। उपनिरीक्षक एस.एन.पांडेय (अ.सा.-4) के बयान से पता चलता है कि उन्होंने लिखित रूप में सूचना दर्ज नहीं की थी और न ही अपने उच्च अधिकारियों या मजिस्ट्रेट को कोई सूचना भेजी थी। उन्होंने अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के उसके कानूनी अधिकारों के बारे में भी नहीं बताया था। ये सभी अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान हैं। आबकारी उपनिरीक्षक पी.एस.नेतम (अ.सा.-1) के अनुसार, उन्होंने कोई रासायनिक परीक्षण भी नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 (2) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की **धारा 42** इस प्रकार है:

42. वारण्ट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति.- (1) केन्द्रीय उत्पादक-शुल्क स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ट अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी सम्पत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय ऽक के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, -

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा; और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा :

परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो :

परंतु यह और कि] यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारण्ट या प्राधिकारी, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित

स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहाँ कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहाँ वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घण्टे के भीतर भेजेगा|

अधिनियम की धारा 57 इस प्रकार है:

**धारा 57**. गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट. - जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तब वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् अड़तीस घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत, एस.एन.पांडे (अ.सा.-4) पर यह दायित्व डाला गया है कि वह गिरफ्तारी और जब्ती की पूरी रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को दे। लेकिन, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि एस.एन.पांडे (अ.सा.-4) द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन किया गया था। यद्यपि उपरोक्त प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का नहीं है, फिर भी इस मामले में उपस्थित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न किया जाना अभियोजन पक्ष के कथन पर संदेह उत्पन्न करता है।

अधिनियम की **धारा 50** इस प्रकार है:

50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी. - (1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में की किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावो पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा 42(2) और 50 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है और आज्ञापक प्रावधान अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है, यहां तक कि जब्त सामग्री का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परीक्षण भी नहीं किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 20 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो, तो अपीलार्थी को तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**आर.एल. झंवर**

**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated by:- Gajendra Prakash Sahu**